छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email: - office.rera.cg@gov.in Website: - https://rera.cgstate.gov.in/

परिपत्र क्रमांक–57 / रेरा / 2021 / 1193 रायपुर, दिनॉक– 29/06/2021

/ / परिपत्र / /

विषय :– जनवरी 2021 से मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक प्रगति अद्यतन करने की अवधि में 01 माह और विस्तारण करने के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, रायपुर, दिनाँक 28.09.2018।

-------00------

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 सहपठित क्रमांक 11 अंतर्गत छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत समस्त प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जिला–रायपुर (छ.ग.) द्वारा विभिन्न दिनॉकों को जारी किये गये आदेशों के माध्यम से दिनॉक 09 अप्रैल, 2021 से दिनॉक 05 मई, 2021 तक संपूर्ण रायपुर जिले को कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित किये जाने के कारण रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स से संबंधित सभी कार्य पर विपरीत रूप से प्रभावित हैं। इसी परिपेक्ष्य में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा के परिपत्र क्रमांक–56 / रेरा / 2021 / 900, दिनॉक 28.04.2021 द्वारा निर्धारित अवधि 30 जून, 2021 की गई थी।

उक्त निर्धारित अवधि में संशोधन करते हुये जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक की अवधि हेतु बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक प्रगति अद्यतन करने की अवधि में 01 माह का विस्तार करते हुये निर्धारित अवधि 31 जुलाई, 2021 की जाती है। उक्त दिनॉक पश्चात् त्रैमासिक अद्यतन किये जाने की स्थिति में विलंब शुल्क यथावत देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

29/6/2021

डॉ. अनुप्रिया मिश्रा
(रजिस्ट्रार)
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर